

## कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग-2)

## सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत अपर सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अनुरोध के आधार पर दिये गये विकल्प।

क0सं0	कार्यरत कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुरोध हेतु विवरण/विकल्प
1	2	3	4
1.	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी।	श्री मनीष भारकर/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी का विगत 09 माह से जिला देहरादून में Spine/vertebrae से ग्रसित रोग का ग्रफिक ऐरा अस्पताल से इलाज चल रहा है। चिकित्सक द्वारा advance diagnosis किया गया है। एवं MRI रिपोर्ट के उपरान्त Surgery के लिए सुझाव दिया गया है। (अस्पताल के प्रमाण पत्र संलग्न) प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्डों में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिंचाई खण्ड, काशीपुर।</li> <li>2. परियोजना खण्ड, देहरादून।</li> <li>3. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।</li> <li>4. प्रमुख अभियन्ता (नियोजन अनुभाग), देहरादून।</li> <li>5. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।</li> <li>6. सिंचाई खण्ड, विकासनगर।</li> <li>7. सिंचाई खण्ड, देहरादून।</li> </ol>
2.	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी।	श्री प्रियंजन सैनी/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी द्वारा सिंचाई खण्ड, काशीपुर में अपर सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड, काशीपुर में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>
3.	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी।	श्री राजेन्द्र कुमार/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी के बच्चे रूड़की में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तथा घर में वृद्ध माता-पिता हैं, जिनका स्वास्थ्य अधिकतर समय खराब रहता है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी प्रार्थी की है। जिस हेतु बार-बार घर जाना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण रूड़की के किसी भी कार्यालय में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>
4.	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, बैजरो।	श्री अमित कुमार/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी की माताजी वृद्ध अवस्था में हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। जिनका उपचार हरिद्वार से चल रहा है। दो वर्ष पूर्व बड़े भाई का भी देहांत हो गया है, घर की देखभाल हेतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्डों में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिंचाई खण्ड, दुगड़ड़ा।</li> <li>2. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।</li> <li>3. सिंचाई खण्ड, रूड़की।</li> <li>4. सिंचाई खण्ड, देहरादून।</li> </ol>



क0सं0	कार्यरत कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुरोध हेतु विवरण/विकल्प
1	2	3	4
5.	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।	श्री गिरीश चन्द्र जोशी/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी की पत्नी हल्द्वानी स्थित निजी स्कूल में कार्यरत है। परिवार में बुजुर्ग माता है जो कि हृदयघात से ग्रसित है जिनको समय-समय पर चिकित्सकीय परामर्श हेतु चिकित्सक के पास ले जाना पड़ता है। प्राथी स्वयं भी Ankylosing spondylitis नामक बीमारी से ग्रसित है। जिनको कारण स्वयं को भी चिकित्सकीय परामर्श हेतु चिकित्सक के पास हल्द्वानी जाना पड़ता है। प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण हल्द्वानी के समीप निम्नलिखित खण्डों में से किसी एक में करने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।</li> <li>2. सिंचाई खण्ड, सितारगंज।</li> <li>3. सिंचाई खण्ड, नैनीताल।</li> <li>4. सिंचाई खण्ड, काशीपुर।</li> <li>5. सिंचाई खण्ड, रामनगर।</li> </ol>
6.	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड जखोली।	श्री प्रदीप कुमेडी/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी की माता जी श्रीमती सुशीला देवी कुमेडी (65 वर्ष) वृद्ध होने के साथ-साथ हृदय सम्बन्धित बीमारी से ग्रसित है। समय समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु देहरादून जाना पड़ता है। निम्नलिखित खण्डों में अनुरोध के आधार पर दुर्गमस से दुर्गम स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिंचाई खण्ड, चमोली।</li> <li>2. सिंचाई खण्ड, थराली।</li> </ol>
7.	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड जखोली।	श्री अनिल कुमार/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी की माता जी श्रीमती जानकी देवी (79 वर्ष) वृद्ध होने के साथ-साथ उनको सांस एवं हृदय सम्बन्धित बीमारी से ग्रसित है। जिस कारण उनको पेसमेकर लगाया गया है। समय समय पर चिकित्सक को दिखाना पड़ता है। निम्नलिखित खण्डों में अनुरोध के आधार पर दुर्गम से सुर्गम स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद।</li> <li>2. परिकल्प खण्ड, रुड़की।</li> <li>3. प्रशासन खण्ड, रुड़की।</li> </ol>
8.	पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, चम्बा।	श्रीमती रूपांसी पुरोहित /अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी के पति काशीपुर में पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है (प्रमाण पत्र संलग्न) स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 13 के 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित खण्डों में स्थानान्तरण को अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सिंचाई खण्ड, काशीपुर।</li> <li>2. सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर।</li> <li>3. सिंचाई खण्ड, सितारगंज।</li> </ol>
9.	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)।	श्री अंकित धीमान/ अपर सहायक अभियन्ता	<p>प्रार्थी विकलांगता की 45 प्रतिशत श्रेणी में आता है। (प्रमाण पत्र संलग्न) प्रार्थी को दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>

for RA MS

क्र०सं०	कार्यरत कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुरोध हेतु विवरण/विकल्प
1	2	3	4
10.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल।	श्री राकेश मोहन/ अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थी निरन्तर लगभग 08 वर्षों से दुर्गम सेवा में कार्यरत है प्रार्थी द्वारा अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण सिंचाई खण्ड, नैनीताल से जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद में किये जाने का अनुरोध किया गया है।
11.	सिंचाई खण्ड, चमोली।	श्रीमती रश्मि/ अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थिनी दुर्गम क्षेत्र में ही सेवा करने की इच्छुक है। प्रार्थिनी द्वारा अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम सिंचाई खण्ड, थराली में किये जाने का अनुरोध किया गया है।
12.	सिंचाई खण्ड, कपकोट।	श्री नासिर अली/ अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थी की माता जी की उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका स्वास्थ्य विगत 03 वर्षों से खराब चल रहा है। माता जी बैक बोन एवं मस्तिष्क की गम्भीर बिमारियों से ग्रसित है। जिस कारण माताजी जी अपने दैनिक नित्यकर्म करने में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध के आधार पर अपना स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम सिंचाई खण्ड, नैनीताल में किये जाने का अनुरोध किया गया है।
13.	अवस्थापना (पुर्न०) खण्ड, नई टिहरी, मुख्यालय-बहादुराबाद।	श्री दिवाकर प्रसाद नौटियाल /अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थी के वृद्ध माता-पिता एवं दादी नई टिहरी में निवासरत है जिनकी देखभाल के लिए प्रार्थी को बार-बार नई जाना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध के आधार पर निम्नलिखित खण्डों में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। 1. सिंचाई खण्ड, नई टिहरी। 2. सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर। 3. सिंचाई खण्ड, देहरादून।
14.	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।	श्री मनोज भट्ट/ अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थी 08 वर्षों से एक ही खण्ड में कार्यरत है। प्रार्थी का मूल निवास हल्द्वानी जिला नैनीताल में स्थित है। प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता जी की देखभाल हेतु निम्नलिखित खण्डों में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। 1. सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी। 2. जमरानी बांध निर्माण खण्ड हल्द्वानी। 3. सिंचाई खण्ड, नैनीताल। 4. सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर। 5. सिंचाई खण्ड, रामनगर। 6. सिंचाई खण्ड, सिंतारगंज। 7. पी०एम०जी०एस०वाई०, हल्द्वानी।
15.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	श्रीमती निशा तिवारी/ अपर सहायक अभियन्ता	प्रार्थिनी की पुत्री, जिसकी आयु 06 वर्ष है, जिसके हृदय में छेद होने के कारण समय-समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से बार-बार जाँच करवाने व छोटी पुत्री के ससमय टीकाकरण एवं चिकित्सकीय परामर्श लेने में कठनाई उत्पन्न होती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थिनी द्वारा अपना स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर सिंचाई खण्ड, रामनगर में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

RA RA MB

क्र०सं०	कार्यरत कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अनुरोध हेतु विवरण/विकल्प
1	2	3	4
16.	सिंचाई खण्ड, थराली	श्री सुशील सिंह/ अपर सहायक अभियन्ता।	अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम निम्नलिखित खण्डों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। 1. सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग। 2. सिंचाई खण्ड, केदारनाथ। 3. सिंचाई खण्ड, चमोली। 4. सिंचाई खण्ड, श्रीनगर। 5. सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।
17.	अवस्थापना (पुर्न०) खण्ड, नई टिहरी, मुख्यालय-बहादुराबाद।	कु० मधु /कनिष्ठ अभियन्ता	प्रार्थिनी का परिवार श्रीनगर में निवासरत है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थिनी पर है। प्रार्थिनी की माता का स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहता है। जिसके कारण प्रार्थिनी को बार-बार श्रीनगर जाना पड़ता है। प्रार्थिनी द्वारा अपनी उक्त पारिवारिक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अपना स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्ड में किये जाने का अनुरोध किया गया है। 1. सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।
18.	सिंचाई खण्ड, धारचूला।	श्री दीपक सिंह धानिक/ कनिष्ठ अभियन्ता	प्रार्थी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, एवं माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थी द्वारा अपने पारिवारिक कारणों से अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम सिंचाई खण्ड, धारचूला से सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
19.	पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर।	श्री मनीष ध्यानी/ कनिष्ठ अभियन्ता	प्रार्थी का परिवार ऋषिकेश में रहता है, प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिस कारण प्रार्थी को बार-बार श्रीनगर से ऋषिकेश जाना पड़ता है। प्रार्थी की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध के आधार पर निम्नलिखित खण्डों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। 1. सिंचाई खण्ड, देहरादून। 2. परियोजना खण्ड, ऋषिकेश। 3. सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर। 4. सिंचाई खण्ड, हरिद्वार। 5. जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद। 6. अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी, मुख्यालय बहादुराबाद। 7. अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
20.	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।	श्री शेर मौहम्मद/ कनिष्ठ अभियन्ता	प्रार्थी की माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी अपने घर का अकेला पुत्र है। प्रार्थी द्वारा अपने पारिवारिक कारणों से अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट में स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

21.	सिंचाई खण्ड, धारचूला।	श्री शिवम जोशी/ कनिष्ठ अभियन्ता	<p>प्रार्थी की माता जी जिनकी आयु 70 वर्ष है केवल 02 सदस्यीय परिवार होने के कारण गाँव (पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट) पर अकेली रहती है। वृद्धावस्था के कारण वे अक्सर बीमार रहती है। घरपर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूर रहने के कारण प्रार्थी को अपनी का चिंता बनी रहती है। प्रार्थी द्वारा अपनी मानवीय परिस्थिति पर विचार करते हुए अपना स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्डों में किसी में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।</li> <li>2. सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।</li> </ol>
22.	सिंचाई खण्ड, धारचूला।	श्री रविन्द्र सिंह/ कनिष्ठ अभियन्ता	<p>प्रार्थी की माता वृद्ध है। जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष है। उनकी देखभाल एवं चिकित्सा की जिम्मेदारी प्रार्थी पर है। तथा समय-समय पर प्रार्थी को अपनी माता के चिकित्सा उपचार हेतु जाना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत अपना स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम सिंचाई खण्ड, धारचूला से सिंचाई खण्ड, लोहाघाट या पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, चम्पावत किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>

(नागन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)  
कृते प्रमुख अभियन्ता

